न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 132/2024 दायर दिनाँक 18.06.2024

वादी

1. जयदेव पुत्र मांगुदास उर्फ मांगीलाल शर्मा जाति साद निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. कुनाल शर्मा पुत्र हरिकृष्ण
2. कीर्ति शर्मा पुत्री हरिकृष्ण
3. भीमसेन पुत्र मांगुदास निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू
4. शेर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी मोल्यासी तह0 धोद जिला सीकर
5. शुभान्शु शर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा
6. अमन उर्फ अनुभव शर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा नि0 खुड़ी हाल नि0 विजयनगर मकान नं0 78, इन्दौर एम. पी 452010
7. जयशर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त
8. आकांक्षा शर्मा पुत्री लक्ष्मीकान्त निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू हाल निवास 18 डी/ए/5–4 स्कीम नं0 78 इन्दौर म0 प्र0
9. बृजमोहन वैष्णव पुत्र रतनलाल वैष्णव निवासी खुड़ी हाल निवास 73 एन संचार नगर एक्सप्रेस कनाड़ीया इन्दौर, ए.पी.
10. प्रिति वैष्णव पुत्र रतनलाल निवासी खुड़ी हाल 166 गह/25/ए लक्ष्मीनगर हैदराबाद। 73 एन संचार नगर एक्सप्रेस कनाड़ीया रोड़ इन्दौर एम.पी
11. जेठादास पुत्र बोदुदास निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन
12. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 11 की ओर से।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **17.01.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू0अभि0नि0 क्षैत्र खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 238 रकबा 3.3100 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 11 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **05.12.2024** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटी खाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटी खाटू ने अपने पत्रांकः 20 दिनाँक 16.01.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटी खाटू [illegible] बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन [illegible] सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटी खाटू [illegible] छोटी खाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 20 दिनाँक 16.01.2025 [illegible] कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू0अभि0नि0 क्षैत्र खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 238 रकबा 3.3100 हैक्टे0 की भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 11 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 20 दिनाँक 16.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 20 दिनाँक 16.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **17.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **132/2024** दायर दिनाँक **18.06.2024**

वादी

1. जयदेव पुत्र मांगुदास उर्फ मांगीलाल शर्मा जाति साद निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. कुनाल शर्मा पुत्र हरिकृष्ण
2. कीर्ति शर्मा पुत्री हरिकृष्ण
3. भीमसेन पुत्र मांगुदास निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू
4. शेर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी मोल्यासी तह0 धोद जिला सीकर
5. शुभान्शु शर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा
6. अमन उर्फ अनुभव शर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा नि0 खुड़ी हाल नि0 विजयनगर मकान नं0 78, इन्दौर एम. पी 452010
7. जयशर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त
8. आकांक्षा शर्मा पुत्री लक्ष्मीकान्त निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू हाल निवास 18 डी/ए/5–4 स्कीम नं0 78 इन्दौर म0 प्र0
9. बृजमोहन वैष्णव पुत्र रतनलाल वैष्णव निवासी खुड़ी हाल निवास 73 एन संचार नगर एक्सप्रेस कनाड़ीया इन्दौर, ए.पी.
10. प्रिति वैष्णव पुत्र रतनलाल निवासी खुड़ी हाल 166 गह/25/ए लक्ष्मीनगर हैदराबाद। 73 एन संचार नगर एक्सप्रेस कनाड़ीया रोड़ इन्दौर एम.पी
11. जेठादास पुत्र बोदुदास निवासी खुड़ी तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन
12. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **17.01.2025**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी, श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 11 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद खुड़ी पटवार हल्का पावा भू0अभि0नि0 क्षैत्र खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 238 रकबा 3.3100 हैक्टे0 की भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 11 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 20 दिनाँक 16.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 20 दिनाँक 16.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **17.01.2025** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner